उत्पाद-शुल्क

1944 का 1

126. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) धारा 2 के खंड (च) में,— धारा 2 का संशोधन।

(i) उपखंड (ii) में, "विनिर्माण" शब्द के स्थान पर, "विनिर्माण; या" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iii) जो केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी माल के संबंध में विनिर्माण की कोटि के रूप में विनिर्दिष्ट है;" ।

127. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के परंतुक में, स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:— धारा 3 का संशोधन।

'(i) "मुक्त व्यापार जोन" से ऐसा जोन अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;'।

128. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क में;— धारा 5क का संशोधन।

(i) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) केंद्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश की परिधि या उसके लागू होने को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए उपधारा (1) के अधीन ऐसी अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन आदेश जारी किए जाने के एक वर्ष के भीतर किसी भी समय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या आदेश में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित कर सकेगी और प्रत्येक ऐसे स्पष्टीकरण का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो वह सदैव, यथास्थिति, प्रथम उक्त अधिसूचना या आदेश का भाग रहा हो ।" ।

(ii) उपधारा (5) में, "उपधारा (1)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, "या उपधारा (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

129. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कक की उपधारा (1) में, "अठारह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे । धारा 11ककक का संशोधन।

130. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कख की उपधारा (1) में, "अठारह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे । धारा 11कख का संशोधन।

131. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 16 और धारा 17 का लोप किया जाएगा । धारा 16 और धारा 17 का लोप।

132. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23घ की उपधारा (2) के पहले परंतुक में, "किसी निवासी आवेदक की दशा में के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा । धारा 23घ का संशोधन।

133. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अध्याय 4 का लोप किया जाएगा । अध्याय 4 का लोप।

134. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ग में,— धारा 35ग का संशोधन।

(i) उपधारा (2) में, "चार वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "छह मास" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) अपील अधिकरण, जहां ऐसा करना संभव हो, प्रत्येक अपील का विनिश्चय, उस तारीख से, जिसको ऐसी अपील फाइल की जाती है, तीन वर्ष की अवधि के भीतर कर सकेगा :

परंतु जहां धारा 35ख की उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई किसी अपील से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों में कोई रोक आदेश किया जाता है वहां वह ऐसे आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगाः

परंतु यह और कि यदि पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी अपील का निपटारा नहीं किया जाता है तो उस अवधि की समाप्ति पर रोक आदेश निष्प्रभाव हो जाएगा ।" ।

135. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ङ की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 135ङ का संशोधन।

"(3) यथास्थिति, बोर्ड या सीमाशुल्क आयुक्त, जहां ऐसा करना संभव हो, उस न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर किंतु एक वर्ष से अनधिक अवधि में उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आदेश करेगा।"।

136. (1) केंद्रीय सरकार द्वारा, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि.509(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999, भूतलक्षी रूप से, तारीख 8 जुलाई, 1999 से ही 28 फरवरी, 2002 तक, (दोनों तारीखें सम्मिलित करते हुए), सिवाय उन बातों के, जिन्हें उक्त अधिसूचना के अधीन किया गया है या जिनका लोप किया गया है, तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित हो जाएगी और संशोधित हुई समझी जाएगी और तदनुसार, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिसूचना के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्रवाई या किसी बात के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से या प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई है और सदैव की गई थी, मानो इस उपधारा द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रही हो। केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क के अधीन जारी की गई अधिसूचना का संशोधन।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति केन्द्रीय सरकार को होगी और सदैव उसके पास रही समझी जाएगी, मानो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना को संशोधित करने की शक्ति भूतलक्षी रूप से सभी समयों पर केन्द्रीय सरकार को थी।

(3) 1 मार्च, 2002 को उपधारा (1) के अधीन संशोधन के समाप्त होने पर भी, उक्त अधिसूचना के अधीन किसी माल की बाबत की गई किसी कार्रवाई या बात या किए गए किसी लोप के लिए किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में या उसके समक्ष

कोई वाद नहीं लाया जाएगा या अन्य कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी या उन्हें बनाए नहीं रखा जाएगा और की गई ऐसी किसी कार्रवाई या किसी बात या किए गए किसी लोप से संबंधित किसी डिक्री या आदेश को किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार प्रवृत्त नहीं किया जाएगा मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहा हो।

(4) उपधारा (1) के संशोधन को 1 मार्च, 2002 से समाप्त किए जाने पर भी, ऐसे शुल्क या ब्याज या अन्य प्रभारों की रकम की, जो, यथास्थिति, संगृहीत नहीं किए गए हैं या जो प्रतिदत्त कर दिए गए हैं किन्तु, जिन्हें, यथास्थिति, इस प्रकार संगृहीत किया जाता या प्रतिदत्त नहीं किया जाता, मानो इस धारा के उपबंध सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तित थे, उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीस दिन की अवधि के भीतर वसूली की जाएगी और इस प्रकार वसूलनीय शुल्क या ब्याज या अन्य प्रभारों के संदाय न किए जाने की दशा में, तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात्वर्ती दिन से संदाय की तारीख तक पंद्रह प्रतिशत वार्षिक की दर से उस पर ब्याज संदेय होगा।

स्पष्टीकरण--शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो तब इस प्रकार दण्डनीय नहीं होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना का उस उपधारा द्वारा भूतलक्षी रूप से संशोधन न किया गया होता।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57कट के अधीन जारी की गई अधिसूचना का संशोधन।

137.(1) केंद्रीय सरकार द्वारा, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57कट के अधीन जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 299(अ), तारीख 31 मार्च, 2000 उस अधिसूचना से संबंधित अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित तारीख से ही, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित हो जाएगी और संशोधित हुई समझी जाएगी और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिसूचना के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्यवाही या किसी बात के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से या प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई है और सदैव की गई थी मानो इस उपधारा द्वारा संशोधित अधिसूचना सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रही हो।

(2) ऐसे सभी घोषित शुल्कों का मुजरा अनुज्ञात किया जाएगा, जिन्हें अननुज्ञात किया गया है किंतु जिन्हें इस प्रकार अननुज्ञात नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में होती ।

(3) ऐसे सभी घोषित शुल्कों का प्रतिदाय किया जाएगा, जिन्हें संगृहीत किया गया है किंतु इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में होती ।

(4) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ख में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) के अधीन घोषित शुल्क के जमा के प्रतिदाय के दावे के लिए आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास के भीतर किया जाएगा । 1944 का 1

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

1986 के अधिनियम 5 का संशोधन।

138. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) में,-

(i) पहली अनुसूची का पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ;

(ii) दूसरी अनुसूची का छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

1957 के अधिनियम 58 का संशोधन।

139. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) पहली अनुसूची का सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क।

140. (1) आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की दशा में, जो विनिर्मित माल है, संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार के रूप में, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से अतिरिक्त शुल्क उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा जिसे विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क कहा जाएगा।

(2) आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर प्रभार्य विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य किसी अन्य अतिरिक्त शुल्कों के अतिरिक्त होगा । 1944 का 1

(3) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जिसके अंतर्गत शुल्कों के प्रतिदाय और उससे छूट तथा शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की बाबत इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में इस प्रकार लागू हो सकेंगे जैसे वे, यथास्थिति, उस अधिनियम या उन नियमों के अधीन ऐसे माल पर उत्पाद-शुल्कों के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं । 1944 का 1